कार्यालय : उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इन्दौर

मध्यप्रदेश शासन

पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा ७ के अन्तर्गत प्रभात गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित 34, राजवाड़ा इन्दौर (म०प्र०) समिति के पंजीयन के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कर लिया गया है तथा अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत, समिति के पंजीकृत उप-नियमों में विहित उपबन्धों के अधीन, उक्त समिति का पंजीयन किया गया है। मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम १९६० की धारा १० के अन्तर्गत संस्था को "गृह निर्माण" संस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

दिनांक 15 माह 9 १९९२

पंजीयन क्र. डी०आर०आई०डी०आर०/५५२

उप पंजीयक

सहकारी समितियां इन्दौर